संख्या-215/2021/937रासनि/23-1-21-68रासनि/20

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 04 अक्टूबर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-58 लेखाशीषक-5054 के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के स्वीकृत कार्य के संबंध में निर्गत आदेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-3889/(54-सी)समग्र वृत्त/2020-21, दिनांक 17.09.21 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश सं0-108/2021/ 560रासनि/23-1-21-68रासनि/20, दिनांक 24.03.2021 में जनपद उन्नाव के स्वीकृत कार्य का नाम 'विक्रमपुर ऊंचगांव से माधोपुर सम्पर्क मार्ग' के स्थान पर 'विक्रमपुर ऊंचगांव से चक धौरहरा सम्पर्क मार्ग' संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के शासनादेश सं0-108/2021/ 560रासनि/23-1-21-68रासनि/20, दिनांक 24.03.2021 के साथ संलग्न तालिका के क्रमांक-83 पर अंकित जनपद उन्नाव के स्वीकृत कार्य का नाम 'विक्रमपुर ऊंचगांव से माधोपुर सम्पर्क मार्ग' के स्थान पर 'विक्रमपुर ऊंचगांव से चक धौरहरा सम्पर्क मार्ग' पढ़ा व समझा जाय।

3- विषयगत शासनादेश सं0-108/2021/ 560रासनि/23-1-21-68रासनि/20, दिनांक 24.03.2021 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

( राज कुमार )
अनु सचिव ।

संख्या-215/2021/937रासनि (1)/23-1-21, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उन्नाव।
3. मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
7. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
8. लोक निर्माण अनुभाग-10
9. नोडल अधिकारी( आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

( राज कुमार )
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in